लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3284

जिसका उत्तर बुधवार, 09 अगस्त, 2023 को दिया जाएगा

मानकों में परिवर्तन

3284. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय के पास विगत काल में ऐसा कोई दृष्टांत है जहां उपभोक्ता मामले विभाग ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की सीएचडी 01 जैसी तकनीकी समिति की अनदेखी करते हुए रसायनों अथवा किसी उत्पाद के मानकों में परिवर्तन/संशोधन करने का निदेश दिया हो; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख): मानक स्थापित करने का कार्य भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा अपनी तकनीकी समितियों के माध्यम से किया जाता है। मानक स्थापित करने की प्रक्रिया गुणवत्ता संबंधी विचारों, तकनीकी प्रक्रियाओं और अन्य विशिष्ट आवश्यकताओं पर आधारित एक विकासशील प्रक्रिया है। हितधारकों की चिंताओं को दूर करने के लिए, विस्तृत और व्यापक हितधारक परामर्श आयोजित किए जाते हैं; और उक्त बैठकों की अनुशंसाओं पर बीआईएस द्वारा विचार किया जाता है। बीआईएस तकनीकी समितियां मानकों में संशोधन लाने या संबंधित उत्पाद के लिए मौजूदा मानक को जारी रखने के लिए संबंधित हितधारकों से प्राप्त इनपुट पर स्वतंत्र रूप से विचार करती हैं।

******